राजस्व वाद संख्याः– नया 94 / 2022
(पुराना नम्बर 39 / 2010)
रेवतसिंह आदिबनाम बसनतसिंह आदि
निर्णय दिनांकः– 04–07–2022

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– नया नम्बर 94 / 2022 (पुराना नम्बर 39 / 2010)

1. रेवतसिंह (फौत)
1/1. महेन्द्रसिंह
1/2. राजूसिंह } पुत्रान रेवतसिंह
1/3. अन्तर कंवर पत्नी रेवत सिंह } जाति राजपुत निवासी धमोरा, तह. उदयपुरवादी, झुन्झुनूं राज.
2. जगदीश सिंह (फौत)
2/1. अशमान कंवर पत्नी जगदीश सिंह
2/2. विक्रम सिंह पुत्र जगदीश सिंह
3. पृथ्वी सिंह पुत्र केशजी सिंह जाति राजपूत निवासी धमोरा, जिला झुन्झुनूं राज.

..........वादीगण

बनाम

1. बसंतसिंह (फौत)
1/1. तम्बो बाई उर्फ संतोष पुत्री बसंत सिंह पत्नी हुकम सिंह जाति राजपूत नि. किशनपुरा तहसील राजगढ हाल आबाद बुहाना।
1/2. उर्मिला पुत्री बसंत सिंह पत्नी जसपाल सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी बाढान तहसील खेतड़ी हाल आबाद बुहाना।
2. महेशदान सिंह पुत्र मित्रसिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना, झुन्झुनू राज.
3. अजीत सिंह पुत्र उम्मेद सिंह जाति राजपूत निवासी बन्धाला तह. व जिला सीकर।
4. चमेली पत्नी जमनसिंह
5. कृष्ण पुत्र जमनसिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना, तह. बुहाना, झुन्झुनूं राज.
6. प्रकाश सिंह
7. श्रवण सिंह } पुत्रान मकतूल सिंह
8. सुरज कंवर पत्नी रडमल सिंह
9. प्रभातसिंह
10. लक्ष्मण सिंह } रडमल सिंह
11. रेवत सिंह
12. सोम देवी पत्नी कबूल सिंह
13. सरजीत सिंह पुत्र कबूल सिंह नवीरा रडमल सिंह
14. सुरेन्द्र सिंह पुत्र कबूल सिंह नाबालिग जरिए माता सोम देवी
15. विमला कंवर पत्नी जस्सु सिंह
16. सोनू पुत्र जस्सू सिंह नवीरा रडमल सिंह नाबालिग जरिए माता विमला कंवर पत्नी जस्सु सिंह
17. सवाई सिंह
18. लाला सिंह } पुत्रान रडमल सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना, झुन्झुनूं राज.
19. कैलाश
20. राजेन्द्र
21. महेश कुमार } पुत्रान ब्रजमो[illegible] जाति ब्राह्मण निवासी बुहाना
22. मालसिंह पुत्र रामकुमार सिंह जाति राजपूत निवासी [illegible] झुन्झुनूं राज.
23. राज. सरकार जरिये भू–स्वामी [illegible] बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:11:52 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

दावा बाबत – घोषणात्मक, खाता विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा व रिकॉर्ड दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 04–07–2022

वादी की ओर से वाद पत्र रहा कि–

1. वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज. स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 606 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा के खातेदार काश्तकार वादीगण का मामा गुगनसिंह हिस्सा 1/3, प्रतिवादी सं. 1 व 2 का पिता मित्रसिंह हिस्सा 1/6 थे। 1/3 हिस्सा का खातेदार रामकुवारसिंह पुत्र श्योनाथसिंह था। तथा कालुसिंह, रडमलसिंह पुत्र श्योनाथसिंह 2/18 व मकतुलसिंह पुत्र अड़ीसालसिंह 1/18 हिस्सा के खातेदार काश्तकार थे। इसी अनुसार वे काबिज काश्तकार थे। वह स्थिती सम्वत् 2019 तक थी।
2. इसके बाद सम्वत् 2019 के आस पास खातेदार कालूसिंह व मित्रसिंह का देहान्त हो गया। कालूसिंह के स्थान पर उसके पुत्र जमनसिंह प्रतिवादी सं. 4 व 5 के हकपूर्वाधिकारी के नाम से नामान्तरकरण सं. 928 दर्ज किया गया। एवं मित्र सिंह की मृत्यु के बाद प्रतिवादी प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से उसके हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण सं. 928 दर्ज किया गया तथा प्रति सं. 8 से 18 के हक पूर्वाधिकारी रडमलसिंह का नाम इस भूमि खातेदारी से हटाकर प्रतिवादी सं. 4 से 7 का ही नाम दर्ज कर दिया गया तथा रडमल सिंह का हिस्सा दर्ज नहीं किया गया उक्त हिस्सा खाली छोड़ दिया गया। यह स्थिती सम्वत् 2026 तक रही।
3. वाद वर्णित भूमि गत खसरा नम्बर 606 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा में से प्रतिवादी सं. 22 के पिता रामकुवार सिंह का 1/3 हिस्सा था। वादीगण की माता भगवानी व मामा गुगनसिंह का 1/3 हिस्सा था। चूंकि राजस्व कर्मचारियों की भूल से वादीगण की माता का नाम दर्ज नहीं कर उसके भाई गूगनसिंह का ही खातेदारी में नाम दर्ज कर दिया था। कालूसिंह, रडमलसिंह, मकतुलसिंह का 1/6 हिस्सा था। मित्र सिंह का 1/6 हिस्सा दर्ज था। वादीगण का मामा गुगनसिंह एव वादीगण की माता भगवानी अपने 1/3 हिस्सा पर काबिज थे। गूगनसिंह 40 वर्ष पूर्व लापता हो गया एवं काफी प्रयास करने के बाद उसको किसी ने कही भी ना तो देखा, ना ही सुना, ना ही उसके जीवित होने की कोई सुचना व संभावना रही। गूगनसिंह के लापता होने पर उसकी हिस्से की 1/3 भूमि पर वादीगण की माता भगवानी काबिज रही। भगवानी का एक वर्ष पूर्व देहान्त हो चुका है। भगवानी ने कभी स्वयं काश्त की कभी मजदुरी से तो कभी फसल बंटाई पर विवादित भूमि के 1/3 हिस्से को काश्त किया। वादीगण के सक्षम होने पर वादीगण काश्त करते है। कभी [illegible] उसकी माता विवादित भूमि के रोतानसिंह से भी काश्त करवाते रहे है। [illegible] खातेदार काश्तकार है।
4. विवादित भूमि मे से प्रतिवादी [illegible] 1 व 2 [illegible] लगायत 18 ने अपने 1/3 हिस्सा की सम्पूर्ण भूमि या अपने हि[illegible] 19 लगायत 21 के पिता बृजमोहन को बेचान कर दी। चुकि प्रतिवा[illegible] 21 के नाम से [illegible] नामान्तरकरण संख्या 1394 दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 16:11:52 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

किया गया है। वह केवल 5 बिस्वा का ही है। तथा उक्त भूमि में से रडमलसिंह प्रतिवादी सं. 8 से 18 के हक पूर्वाधिकारी के हिस्से की भूमि जमनसिंह प्रतिवादी सं. 4 व 5 के पास ही थी। वाद पत्र में वंशावली दर्ज की गई।

वादीगण का विवादित भूमि में 1/3 हिस्सा है। प्रतिवादी सं. 19 से 21 हालांकि प्रतिवादी सं. 1 से 2 .व 4 लगायत 18 से उनका 1/3 हिस्सा खरीद करना बताते है। एवं वर्तमान में उससे भी अधिक भूमि की खातेदारी उनके नाम दर्ज है। यदि उन्होने प्रतिवादी सं. 19 से 21 व उनके हक पूर्वाधिकारी बृजमोहन को यदि भूमि बैचान नहीं की है तो वे इसकी खातेदारी दुरूस्त करवा सकते है। वादीगण का 1/3 हिस्सा के सम्बंध में उक्त तथाकथित बैचान प्रथमतः शुन्य एवं प्रभावहीन है। साथ ही गलत रिकॉर्ड भी वादीगण के हक व अधिकारों पर बैअसर है।

5. हाल ही में सन् 1979–80 में बन्दोबस्त हुआ तो भूमि गत खसरा नम्बर 606 जिसके खसरा नम्बर 606/1 व 606/2 भी दर्ज किए गए थे। हाल खसरा नम्बर 1568 रकबा 0.24 है. एवं खसरा नम्बर 1569 रकबा 0.42 है. कुल किता 2 रकबा 0.66 है. निर्मित किए गए तथा बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों से प्रतिवादी सं. 19 से 21 ने साजिश कर ली तथा खसरा नम्बर 1568 रकबा 0.24 है. की खातेदारी सम्पुर्ण रूप से प्रतिवादी सं. 19 से 21 के नाम दर्ज करवा ली है। एवं खसरा नम्बर 1569 रकबा 0.42 है. की खातेदारी में वादीगण का मामा गुगनसिंह व प्रतिवादी सं. 22 के पिता रामकुवारसिंह के साथ–साथ अपना नाम भी दर्ज करवा लिया प्रथमतः तो हाल बन्दोबस्त विभाग को बिना किसी न्यायालय के निर्णय व डिक्री के बिना पक्षकारान की सुनवाई करे। विवादित भूमि का खाता विभाजित भी किया तो भूमि हाल खसरा नम्बर 1569 रकबा 0.42 है. में प्रतिवादी सं. 1 व 2 व 4 से 7 का व इनके हकपूर्वाधिकारियों का नाम दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था। बन्दोबस्त विभाग के द्वारा किया गया। खाता विभाजन एवं उक्त इन्द्राजात प्रथमतः शुन्य विधि विरूद्ध एवं वादीगण व उनके हकपूर्वाधिकारीयों के अधिकारों पर प्रभाव शुन्य है।

6. वाद वर्णित भूमि गत खसरा नम्बर 606 के हाल खसरा नम्बर 1568 व 1569 बनाए गए तो खसरा नम्बर 1569 के 1/3 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी सं. 2 के पिता रामकुवारसिंह के नाम दर्ज थी। जिन्होनें अपना 1/3 हिस्सा कर्णसिंह पुत्र रूपसिंह व रेवतसिंह पुत्र रडमलसिंह को बैचान कर दिया जिनके नामान्तरकरण सं. 529 है। उक्त कर्णसिंह व रेवतसिंह ने उक्त खरीद शुद्धा रकबा 0.14 है. अर्थात 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 को बैचान कर दिया चुकि प्रतिवादी सं. 3 का अपने मामा शिवराज सिंह के साथ उक्त 0.14 है. रकबा पर कब्जा काश्त रामकुवार सिंह के स्थान पर किसी दुसरे रकबा के बदले में था। प्रतिवादी सं. 3 के नाम से रामकुवार सिंह प्रतिवादी सं. 22 के पिता का नाम से दर्ज रही भूमि का नामान्तरकरण सन् 1998 में दर्ज हो चुका है। जिसका नामान्तरकरण संख्या 530 है।

7. विवादित भूमि गत खसरा नम्बर 606 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा में वादीगण की माता भगवानी व मामा गुगनसिंह का 1/3 हिस्सा था अर्थात 18 [illegible] जिसका हैक्टर में रकबा 0.22 है. बनता है। जिस पर वे [illegible] थे। वर्तमान में [illegible] काबिज है। वादगीण के मामा गुगनसिंह के कोई जायन्दा [illegible] है। वादीगण व उनकी माता भगवानी ही उसके उत्तराधिकार है एवं वर्तमान में इस भूमि [illegible] 1569 रकबा 0.42 है. के 0.22 है. रकबा पर काबिज है। प्रतिवादी सं. 3 अपने [illegible] रकबा पर काबिज था। जिसमें उसने

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 16:11:52 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

मकान आदि बना लिए है व यह भूमि आबादी से घीरी होने के कारण इसके प्लाट आदि बना लिए है शेष 0.06 है. रकबा पर प्रतिवादी सं. 3 का मामा व रोतानसिंह पुत्र फुलसिंह वगै. अपना—अपना कब्जा बता रहे है। जबकि यह भूमि प्रतिवादी सं. 22 के नाम से दर्ज होनी चाहिए थी तथा ख. नं. 1568 रकबा 0.24 है. की खातेदारी प्रतिवादी सं. 19 से 21 के नाम दर्ज है। जो उक्त सम्पुर्ण 0.24 है. रकबा प्रतिवादी सं. 1 व 2 एवं प्रतिवादी सं. 4 से 18 व उनके हक पूर्वाधिकारीयों से खरीदना बताते है। हालांकि यदि प्रतिवादी सं. 19 से 21 ने यदि 6 बिस्वा से अधिक रकबा उनसे या उनमें से किसी से नहीं खरीदा है तो प्रतिवादी सं. 1 व 2 एवं 4 से 18 अपना 6 बिस्वा से अधिकार जो रकबा प्रतिवादी सं. 19 से 21 के नाम दर्ज है। का रिकॉर्ड दुरूस्त करवाकर व अपने नाम करवा सकते है। तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 एवं 4 से 7 का नाम भूमि हाल खसरा नम्बर 1569 रकबा 0.42 है. से दुरूस्त कर हटाए जाने योग्य है।

8. भूमि गत खसरा नम्बर 606 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा जिसमें वादीगण का 18 बिस्वा अर्थात 1/3 हिस्सा है। जिसके हाल खसरा नमब्र 1568 रकबा 0.24 है., खसरा नम्बर 1569 रकबा 0.42 है. बने है। में वादीगण का हैक्टर में 0.22 है. रकबा है उक्त भूमि का खाता संयुक्त माना जाता है। तो ख. नं. 1568 रकबा 0.24 है. व खसरा नमब्र 1569 रकबा 0.42 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.66 है. में वादीगण का 1/3 हिस्सा अर्थात 0.22 है. रकबा है। जिसकी खातेदारी घोषणा के वादीगण अधिकारी हैं एवं प्रतिवादी सं. 3 का 0.14 है. रकबा एवं 0.06 है. रकबा प्रतिवादी सं. 22 के नाम दर्ज किया जाना चाहिए तथा प्रतिवादी सं. 19 से 21 द्वारा प्रतिवादी सं. 1 व 2 एवं 4 से 18 का हिस्सा खरीदना माना जाता है। तो 0.24 है. रकबा दर्ज कर रिकॉर्ड दुरूस्त किए जाने योग्य है। यदि प्रतिवादी सं. 19 से 21 व उनके हकपूर्वाधिकारी बृजमोहन का केवल जमनसिंह प्रतिवादी सं. 4 व 5 का हिस्सा 1/18 अर्थात 3 बिस्वा खरीदना माना जाता है। तो प्रतिवादी सं. 19 से 21 का 0.04 है., प्रतिवादी सं. 6 व 7 का 0.04 है, प्रतिवादी सं. 1 व 2 का 0.09 है., एवं प्रतिवादी सं. 8 से 18 का 0.05 है. रकबा दर्ज किया जाना चाहिए। यदि नामान्तरकरण सं. 1394 को सही माना जाता है। तो प्रतिवादी सं. 5 व 6 का 0.04 है. रकबा दर्ज कर रिकॉर्ड दुरूस्त किए जाने योग्य है।

9. वादीगण अपने गॉव धमोरा में रहते है। अपनी खातेदारी की भूमि को या तो मजदुरी से काश्त करवाते है। अथवा फसल बंटाई पर काश्त करवाते रहे है। जिससे प्रतिवादी सं. 1 व 2 वादीगण की हिस्से की भूमि की सीमा को तोड़ते है व कब्जा काश्त में दखल देते है। तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 एवं 4 से 7 का इस भूमि की खातेदारी में गलत रूप से हाल खसरा नम्बर 1569 संयुक्त खातेदारी के नाम दर्ज रहने से एवं यह भूमि आबादी से घिरी होने के कारण उक्त प्रतिवादी सं भूमि को रहन, बैचान करने व वादीगण के कब्जा काश्त में दखल करने व इससे जबरन निर्माण कार्य कर इस पर कब्जा काश्त [illegible] की फिराक में है।

10. विवादित भूमि गत खसरा नम्बर 606 रकबा 2 बीघा [illegible] जिसके हाल खसरा नम्बर 1568 रकाब 0.24 है. व खसरा नम्बर 1569 रकबा 0.4[illegible] कुल किता 2 कुल रकबा 0.66 है. में वादीगण का 0.22 है. अर्थात 18 [illegible] घोषित [illegible] है। अथवा भूमि खसरा नम्बर 1569 रकबा 0.42 है. में वादीगण [illegible] हिस्सा नहीं किया जाता है। एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 एवं 4 से 7 [illegible] खातेदारी से हटाया जाकर रिकॉर्ड दुरूस्त नहीं किया जाता है। एवं खाता भी वादीगण के 0.22 है. रकबा का विभाजित नहीं किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:11:52 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी [illegible]
जिला झुन्झुनू (राज.)

जाता है। एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 एवं 4 से 7 गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड़ में खसरा नम्बर 1569 में दर्ज गलत नाम के आधार पर कोई साजिशी बैयनामा करवा देते है या इसे रहन, गिरवी अथवा अन्य हस्तानान्तरित कर देते है। कोई कच्चा या पक्का निर्माण कर लेते है। वादीगण के कब्जे काश्त में दखल देते है। तो वादीगण को ऐसी अपुर्तनीय क्षति होगी जिसका मुंद्रा में मुल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

वादी ने वाद–पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि–

(क). वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि गत ख. नं. 606 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1568 रकबा 0.24 है., खसरा नम्बर 1569 रकबा 0.42 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.66 है. निर्मित हुए है में वादीगण को 0.22 है. का खातेदार घोषित किया जावे। विकल्प में हाल ख. नं. 1569 रकबा 0.42 है. में वादीगण को 1/3 हिस्सा के स्थान पर 0.22 है. भूमि का खातेदार घोषित कर इस भूमि की खातेदारी से प्रतिवादी सं. 1 व 2 एवं 4 से 7 व उनके हकपूर्वाधिकारीयों का नाम हजफ कर प्रतिवादी सं. 3 का 0.14 है. हिस्सा एवं शेष 0.06 है. की खातेदारी प्रतिवादी सं. 22 के नाम दर्ज कर अथवा जैसा न्यायालय श्रीमानजी उचित समझे दुरूस्ती का आदेश दिए जाने की कृपा करे।

(ख). विवादित भूमि खसरा नम्बर 1568 व 1569 का खाता संयुक्त माना जाता है तो विवादित भूमि खसरा नम्बर 1568 रकबा 0.24 है., खसा नम्बर 1569 रकबा 0.42 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.66 है. में वादीगण के 0.22 है. रकबा का खाता अलग से विभाजित कर बाद विभाजन वादीगण के हिस्से में आने वानी भूमि पर वादीगण का कब्जा करवाया जावे। विकल्प में यदि खसरा नम्बर 1568 व 1569 के विभाजन को सही माना जाता है तो खसरा नम्बर 1569 रकाब 0.42 है. में वादीगण के 0.22 है. रकबा का खाता अलग से विभाजित कर इसका लगान अलग से कायम कर बाद विभाजन वादीगण के हिस्से में आई भूमि पर वादीगण का कब्जा करवाये जाने की कृपा करे।

(ग). प्रतिवादी सं. 1 से 2 व 4 से 7 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध फरमाया जावे कि वे वादीगण को भूमि हाल खसरा नम्बर 1569 रकबा 0.42 है. में से 0.22 है. भूमि के कब्जा काश्त मे कोई दखल नहीं करे। तथा भूमि खसरा नम्बर 1569 रकबा 0.42 में काई कच्चा या पक्का निर्माण नहीं करे। इसमें कोई निर्माण सामग्री या छड़ियाँ आदि नहीं डाले। इसके किसी भी भाग को रहन, बेचान, गिरवी या किसी प्रकार से हस्तानान्तरित नही करे। ऐसा कोई कृत्य नहीं करे। जिससे वादीगण के अधिकारों को हानि पहुचती हो ऐसा कृत्य ना तो स्वयं करे ना ही अपने परिवारजनों, मित्रगणों से करावे।

(2) दावा दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी ... प्रतिवादीगण की सम्यक तामिल हुई। प्रतिवादी सं. 1/1 की ओर से श्री महेश सांखला एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। शेष प्रतिवादीगण बावजुद सम्यक तामिल ... के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:11:52 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्न पर्चा तनकीयात कायम की गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

राजस्व वाद संख्याः– नया 94 / 2022
(पुराना नम्बर 39 / 2010)
रेवतसिंह आदिबनांम बसनतसिंह आदि
निर्णय दिनांकः– 04–07–2022

1. आया वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 606 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1568 रकबा 0.24 है., खसरा नम्बर 1569 रकबा 0.42 है. निर्मित हुए है। जिसमें वादीगण का 1 / 3 हिस्सा है। .... भार वादीगण
2. आया भूमि खसरा नम्बर 1568 व 1569 में वादीगण के 1 / 3 हिस्सा अर्थात 0.22 है. का खाता अलग से विभाजित करवाने के वादीगण अधिकारी है। विकल्प में यदि खसरा नम्बर 1568 व 1569 का विभाजन सही माना जावे तो खसरा नम्बर 1569 में वादीगण के 0.22 है. रकबे का खाता विभाजन करवाने के वादीगण अधिकारी है। ....भार वादीगण
3. आया वादीगण प्रतिवादी सं. 1 व 2 एवं 4 से 7 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है। .... भार वादीगण
4. आया गुगनराम ने सन् 1972 में 0.07 है. भूमि का बेचान बृजमोहन को कर दिया है तथा केवल 0. 14 है. भूमि पर वे काबिज है। ...... भार प्रतिवादी सं. 1
5. आया प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने केवल 3 बिस्वा भूमि का ही बैवान बृजमोहन को किया है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 का 0.07 है. हिस्सा विवादित भूमि में है। .... भार प्रतिवादी सं. 1
6. अनुतोष ?

(3). वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल जमाबंदी सम्वत् 2058–61 प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी सम्वत् 2058–61 प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी सम्वत् 2054–57 प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी सम्वत् 2054–57 प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी सम्वत् 2050–53 प्रदर्श–5, नकल जमाबंदी सम्वत् 2046–49 प्रदर्श–6, नकल मिला क्षेत्रफल प्रदर्श–7, नकल नामान्तरकरण प्रदर्श–8, नकल जमाबंदी सम्वत् 2026–30 प्रदर्श–9, नकल जमाबंदी सम्वत् 2023 प्रदर्श–10, नकल जमाबंदी सम्वत् 2018 प्रदर्श–11, नकल नामान्तरकरण प्रदर्श–12, नकल जमाबंदी सम्वत् 2015 प्रदर्श–13, फोटो प्रति वाद सं. 229 / 1999 रोहताश बनाम कैलाश आदि प्रदर्श–14, फोटो प्रति वाद सं. 229 / 1999 रोहताश बनाम कैलाश आदि में जवाब प्रदर्श–15, नजरी नक्शा बाबत विभाजन, नक्शा किस्तवार पेश किए गए।

(4) दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 29–02–2016 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया।

(5) **प्राथमिक डिक्री की अपील प्रतिवादी द्वारा मानीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी झुंझुनूं को दिनांक 30–05–20216 को की गई। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 24–02–2022 को अपील प्रकरण को खारीज कर मूल पत्रावली इस न्यायालय को भिजवाई गई। माननीय न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर पत्रावली पुनः नम्बर पर दर्ज की गई। वादीगण की ओर से श्री राजेश यादव एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया।**

(6) न्यायालय के प्राथमिक डिक्री दिनांक 29–02–2016 की पालना में तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु तहरीर जा[illegible] तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपॉर्ट दिनांक 27–06–2022 को प्राप्त हुई । अधिवक्ता वा[illegible] निवेदन किया हैं कि तहसीलदार बुहाना द्वारा विभाजन प्रस्ताव [illegible] विभाजन प्रस्ताव विभाजन किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:11:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश ::–

न्यायालय वाद वादीगण बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 1569 रकबा 0.42 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 04–07–2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:11:52 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पिठासीन अधिकारीः– सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– नया नम्बर 94/2022 (पुराना नम्बर 39/2010)

निर्णय दिनांकः– 04–07–2022

रेवंत सिंह आदि **बनाम** बसंत सिंह आदि

दावा बाबत – घोषणात्मक, खाता विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा व रिकॉर्ड दुरूस्ती

वादी की ओर से **श्री राजेश यादव एडवोकेट** की उपस्थिति में व प्रतिवादीगण की ओर से **श्री** अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **04–07–2022** को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

"न्यायालय वाद वादीगण बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 1569 रकबा 0.42 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **04–07–2022** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:11:52 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना